

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल गुना (म.प्र.)

रेल्वे स्टेशन रोड, गुना (म.प्र.)

E-Mail -: dfot.gun@mp.gov.in, dfoguna@rediffmail.com

क्रमांक/डी.एम./2023/8005

गुना, दिनांक/12/09/2023

प्रति,

संभागीय प्रबंधक
म.प्र. सड़क विकास निगम
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- गुना जिले में ए.डी.बी.-6 योजना के अंतर्गत आरोन- राघौगढ वाया विदोरिया मार्ग के उन्नयन/चौडीकरण हेतु 22.729 हेक्टेयर (ऑनलाईन 22.800 हेक्टेयर) वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत्।
संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एम. पी.आर.007/2023/वी.एच.ओ./दिनांक 06.09.2023

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/6-एम.पी.आर.007/2023/वी.एच.ओ./दिनांक 06.09.2023 से आरोन- राघौगढ वाया विदोरिया मार्ग उन्नयन/चौडीकरण के संबंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।

शर्त क्रमांक A के बिन्दु 1 के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06 जनवरी 2022 के निर्देशानुसार एन.पी.व्ही. की संशोधित दर 9,57,780 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुसार $22.800 \times 957780 = 2,18,37,384$ रुपये एन.पी.व्ही. की राशि कैम्पा मद में शर्त क्रमांक 05 में दिये गये e-Portal के Address पर जमा कराकर UTR नम्बर एवं चालान की प्रति वनमण्डल गुना में जमा करावे।

शर्त क्रमांक-03 के संबंध में कलेक्टर गुना द्वारा तहसील गुना के ग्राम बजरंगढ की गैर वनभूमि को संरक्षित वन घोषित कराने के संबंध में समस्त राजस्व अभिलेख भी उपलब्ध करावे।

शर्त क्रमांक-06 के संबंध में वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर गुना से F.R.A. प्रमाण पत्र प्राप्त करे उपलब्ध करावे।

शर्त क्रमांक-07, 08 एवं 09 के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर वचन पत्र प्रस्तुत कर अवगत करावे।

शर्त क्रमांक B के बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में जिला गुना में स्थित तहसील गुना के ग्राम बजरंगढ के सर्वे क्रमांक 913/1/1 रकबा 8.800 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 938 रकबा 14.000 हेक्टेयर कुल रकबा 22.800 हेक्टेयर में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि 2,11,73,163/- रुपये कैम्पा मद में जमा कराकर UTR नम्बर एवं चालान की प्रति वनमण्डल गुना में जमा करावे।

शर्त क्रमांक-05 एवं 06 के संबंध में Strip Plantation रोड के दोनो ओर करावे एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करे, जिससे पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

पृष्ठांकन क्रमांक/डी.एम./2023/8006

गुना, दिनांक/12/09/2023

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू- प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक, वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल गुना

प्रपत्र - 1

क्र.	मद का नाम	क्षेत्रफल (हेक्ट. में)	केम्पा मद में जमा किये जाने योग्य राशि	मु.व.सं. की तकनीकी स्वीकृति (वनीकरण योजनाओं हेतु राशि)	आवेदक संस्थान से प्राप्त किये जाने योग्य कुल राशि
1	क्षतिपूर्ति वनीकरण	22.800	2,11,73,163 /-	2,11,73,163 /-	2,11,73,163 /-
2	अति क्षतिपूर्ति वनीकरण	-	-	-	-
3	नेट प्रजेन्ट वेल्यु	22.800	2,18,37,384 /-	2,18,37,384 /-	2,18,37,384 /-
4	दाण्डिक रोपण	-	-	-	-
5	कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान	-	-	-	-
6	सेफ्टी जोन	-	-	-	-
7	संरक्षित वन के लिए अतिरिक्त शुल्क	-	-	-	-
8	अन्य शुल्क (यदि कोई हो) प्रभावित वृक्ष राशि	-	-	-	-
कुल योग			4,30,10,547/-	4,30,10,547/-	4,30,10,547/-

वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल सामान्य गुना